



फर्द अहकाम

न्यायालय _____

बनाम _____

नेमीचंद _____

मुकदमा संख्या / वर्ष : _____ 274 / 2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
28/1/24		पत्रावली का हकी वकील फतवा नुमा वान्ने पत्राव 31 पत्र पत्रावली दिनांक 22/1/24 में भेजा है।  उपलब्ध, भाकम् (14/1/24)
28/1/24		पत्रावली का हकी वकील फतवा नुमा वान्ने पत्राव 31 पत्र पत्रावली दिनांक 28/1/24 में भेजा है।  उपलब्ध, भाकम् (14/1/24)
28/1/24		पत्रावली के हकी वकील द्वारा 08/01/24 को अर्जी नं. 12 की ओर में अर्जित कैंडी व अर्जा नं. 12 (अ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) की ओर में श्रेया-चौधरी दाखिल। श्रेय अर्जा प्रीति का नाम में श्रेय एक नए में अर्जित का नाम ही चुका है। समस्त अर्जतारी में अर्जित श्रेय नहीं। कतः तामील अर्जतारी नहीं। तामील के उपरान्त अर्जा प्रीति (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)

उपलब्ध, भाकम् (14/1/24)


फर्द अहकाम

उपलब्ध आधिकारी चाकम् _____

बनाम _____

नेमीचंद _____

मुकदमा संख्या / वर्ष : _____ 274 / 2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दाखिल नहीं। अतः श्रेय विकृत करणीय कार्यवाही भी जारी है। बहुत उम्मीदों की प्रा. पत्र पर जारी नहीं। बहुत उम्मीदों के उपरान्त हम पत्रे हैं कि अर्जा व अर्जा व अर्जा आशपी के लक्ष्यसे है व विवाहित अर्जा का विधिगत विवाह नहीं हुआ है। कतः वार की कसूरता को शेकने व वार की विधवा को वनाए रखने के लिए 31 पत्र के चरण 10-21 के अन्तर्गत अर्जा पर उम्मीदों का तामीलवाए श्रेय भी अर्जा प्रीति वनाए रखने हेतु पावेद किया जा रहा है। पत्रावली में अर्जा प्रीति को एक वर्ष अर्जा प्रीति लेना है।  उपलब्ध, भाकम् (14/1/24)	